फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर

गणेश सिंह बनाम हनुमानसिंह

संख्या /वर्ष : 214/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पत्रावली वादी वकील हाजिर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/12/22	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकीलगण हाजिर हुई मात हेतु पत्रावली दिनांक 20/12/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)
	20/12/22	पत्रावली पेश हुई 22 आदेश/कार्य प्रा. पत्र 151 CPC कन्सोलेट आदेश स्थगित जनरल पेश। दिनांक दी गई। पूर्व प्रार पत्रावली दिनांक 21/12/22 को पेश हो। Pooja
हनुमानसिंह	21.12.22	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील हाजिर वकील वादी के प्रार्थना पत्र 22 नियम 4 व 151 CPC का पेश किया जिसे सुना गया। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 5/1/2023 को पेश हो।
	5-1-2023	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील हाजिर प्रार्थना-पत्र 22 नियम 4 व 151 CPC का अवलोकन किया व पत्रावली का परीशीलन किया गया ये प्रतिवादीगण 2 हनुमान मुकाम को निकट पर लिए जाने का आदेश दिये जाते हैं व प्रतिवादी नं 2 के विवाद मुकाम मूल सेठी निकट पर होने के कारण प्रतिवादी सं 2 के आगे मृतक लिखा जाना उचित समझते हैं। व लिखा जावे। वह सकुशल सुनीगयी व फुरेरात का अवलोकन कर फुरेरात पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने से नकल वादी मुताबिक फुरेरात डिक्री दिया जाता है। डिक्री पृष्ठ से लिखा जाकर सकता है। डिक्री अनुसार डिक्री जारी हो। डिक्री दीपावली 60 तक लिखा जावे। उपखण्ड अधिकारी